


355



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल
निगरानी क्र...../2017

III निगरानी/सीहोर/शु-रा/2017/1831

चंदर सिंह आ.सावंत सिंह आयु वयस्क जाति मेवाड़ा
निवासी लक्ष्मी हार्डवेयर आष्टा तह.आष्टा जिला सीहोरनिगरानीकर्ता

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक
म.प्र.शासन सीहोर संभाग द्वारा उपसंभाग
सहायक यंत्री एवं सहायक विद्युत निरीक्षक
म.प्र.शासन सीहोर उपसंभाग सीहोर.....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 13/04/2017 जो प्रकरण क्र.
104/आर.एम./2017 में अधीनस्थ कलेक्टर महोदय
सीहोर द्वारा पारित किया गया

श्रीमान निवासी 15/6/17 को
श्रीमान साहू 15/6/17 को
श्रीमान 15/6/17 को
श्रीमान 15/6/17 को

102

श्रीमान श्री B.K. Jaiswal
श्रीमान श्री 6/6/17
श्रीमान श्री

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक 21/निगा/भूरा/लीहोर/17/1834

चन्द्र/का.अ.अं.अ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श्री के.डी.ए.ए.ए.</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>लीहोर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>104/RM/17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>13/04/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>मि.पि.ल.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>मि.पि.ल.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	

सदस्य